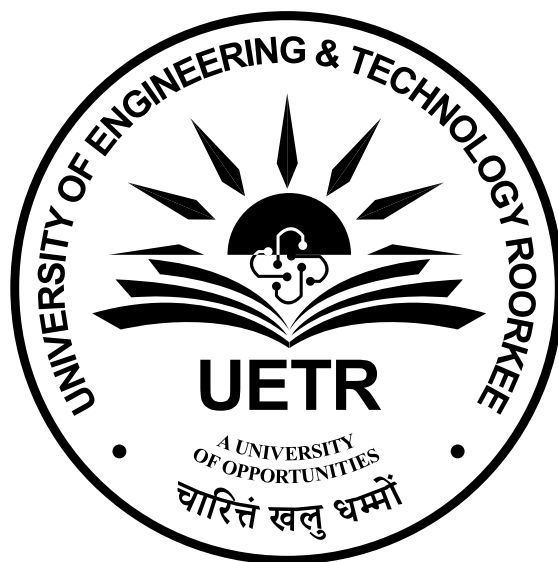


UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY ROORKEE ACT, 2020



**UNIVERSITY OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY ROORKEE**

7th km Roorkee - Haridwar Road, Vardhmanpuram, Roorkee (Uttarakhand) 247667

उत्तराखण्ड शासन,
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या: — /XXIV-C-3/2021-13(10)2018
देहरादून, दिनांक: 23 मार्च, 2021

अधिसूचना

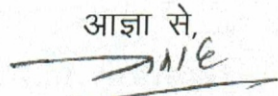
राज्यपाल, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी रुड़की अधिनियम, 2020 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2021) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 मार्च, 2021 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या : 224 (1)/XXIV-C-3/2021-13(10)2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
9. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. अध्यक्ष/सचिव, सेठ रोशल लाल ट्रस्ट, 07-किमी0 रुड़की-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, वर्धमानपुरम, रुड़की, जिला हरिद्वार।
11. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लिथोप्रेस, रुड़की, जनपद-हरिद्वार को अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

Government of Uttarakhand
Higher Education Section-3
No. 224 /XXIV-C-3/2021-13(10)2018
Dehradun: Date 23 March, 2021

Notification

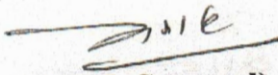
In-exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the University of Engineering and Technology Roorkee Act, 2020(Act No. 07 of 2021, the Governor hereby appoints the day of 25 March, 2021 as the date on which the said Act shall come into force.

(Anand Bardhan)
Principal Secretary

²²⁴
N0. (1)/XXIV-C-3/2021-13(10)2018, as above date.

Copy to following for information and necessary action:-

1. Chief Secretary, Govt of Uttarakhand.
2. All Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary, Govt of Uttarakhand.
3. Secretary, Hon'ble Chief Ministry, Govt of Uttarakhand.
4. Secretary, Governor of Uttarakhand.
5. All Vice-Chancellor, State University of Uttarakhand.
6. District Magistrate, Haridwar.
7. Joint Secretary, University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
8. Director, Ministry of Human Resource Development, Govt of India, New Delhi.
9. Chairman/ Secretary, Seth Roshan Lal Jain Trust, 07 km Roorkee Haridwar Road, Vardhmanpuram, Roorkee, District Haridwar.
10. Joint Director, Government printing and Lithopress, Roorkee District Haridwar for Publication of above Notification in Government Gazette of upcoming issue.
11. Director, N.I.C., Secretariat Campus, Dehradun.
12. Guard File.


(M.M. Semwal)
Additional Secretary

यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की अधिनियम, 2020
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2021)

अनुक्रमणिका

धाराएँ	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय—एक		
प्रारम्भिक		
1	संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	2
2	परिभाषायें	2—3
अध्याय—दो		
विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य		
3	विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव	3
4	विश्वविद्यालय की स्थापना	3—4
5	विश्वविद्यालय स्थापना के लिए शर्तें	4
6	विश्वविद्यालय का आरम्भ	4
7	विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना	4
8	किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना	4
9	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	4—5
10	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	5—6
11	विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति सम्प्रदाय एवं लिंग की पहुँच	6
12	राष्ट्रीय प्रत्यायन	6
अध्याय—तीन		
विश्वविद्यालय के अधिकारी		
13	विश्वविद्यालय के अधिकारी	6
14	कुलाध्यक्ष	6—7
15	कुलाधिपति	7
16	कुलपति	7
17	प्रति-कुलपति	7
18	संकायाध्यक्ष	7—8
19	कुलसचिव	8
20	वित्त अधिकारी	8
21	अन्य अधिकारी	8
अध्याय—चार		
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी		
22	विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण	8
23	व्यवस्थापक मण्डल व शक्तियाँ	8—9
24	प्रबन्ध मण्डल	9
25	विद्या परिषद्	9
26	वित्त समिति	9
27	अन्य प्राधिकारी	9
28	रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	9
29	शुल्क	10

धाराएँ	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय—पाँच परिनियम और नियम		
30	परिनियम	10
31	परिनियम कैसे बनाए जायेंगे	10
32	परिनियम में संशोधन करने की शक्ति	10
33	नियम	10—11
34	नियमावली कैसे बनायी जायेगी	11
35	नियमावली को संशोधित करने की शक्ति	11
अध्याय—छः प्रकीर्ण		
36	कर्मचारी की सेवा शर्तें	11
37	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों के लिए उपबन्ध	11
38	अपील का अधिकार	11
39	भविष्य निधियां एवं पेंशन	12
40	विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद	12
41	समितियों का गठन	12
42	आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	12
43	सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण	12
44	संक्रमणकालीन उपबन्ध	12
45	स्थायी विन्यास निधि	12
46	सामान्य निधि	12
47	विकास निधि	12—13
48	निधि का अनुरक्षण	13
49	वार्षिक प्रतिवेदन	13
50	लेखा व लेखा परीक्षा	13
51	विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति	13
52	विश्वविद्यालय का विघटन	13—14
53	विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय	14
54	कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति	14

The University of Engineering and Technology Roorkee Act, 2020
[Uttarakhand Act. No. 07 of 2021]

INDEX

Section	Detail	Page No.
CHAPTER-I <u>Preliminary</u>		
1	Short title and commencement	16
2	Definitions	16-18
CHAPTER-II <u>The University and its Objects</u>		
3	Proposal for the establishment of the University	18
4	Establishment of the University	18-19
5	Conditions for the establishment of the University	19
6	Starting of the University	19
7	University shall not be entitled for any financial Assistance etc.	19
8	No Power to affiliate any Institution	20
9	Objectives of the University	20
10	Powers of the University	20-22
11	Access to all classes, castes, creed, and gender in the university	22
12	National Accreditation	22
CHAPTER-III <u>Officers of the University</u>		
13	Officers of the University	22
14	The Visitor	22-23
15	The Chancellor	23
16	The Vice-Chancellor	23-24
17	Pro Vice-Chancellor	24
18	Dean of Faculties	24
19	The Registrar	24
20	The Finance Officer	24
21	Other officers	24
CHAPTER-IV <u>Authorities of the University</u>		
22	Authorities of the University	25
23	The Board of Governors and its Power	25
24	The Board of Management	26
25	The Academic Council	26
26	The Finance Committee	26

Section	Detail	Page No.
27	Other Authorities	27
28	Proceeding not Invalidated on account of Vacancy	27
29	Fee	27

CHAPTER-V

Statutes and Rules

30	Statutes	27-28
31	Statutes how to be made	28
32	Power to amend the Statutes	28
33	Rules	28
34	Rules how to be made	28
35	Power to amend Rules	28

CHAPTER – VI

Miscellaneous

36	Service condition of employee	29
37	Provision for Permanent Resident of Uttarakhand	29
38	Right to appeal	29
39	Provident fund and pension	29
40	Disputes as to constitution of University authorities and bodies	29-30
41	Constitution of Committee	30
42	Filling of casual Vacancies	30
43	Protection of action taken in good faith	30
44	Transitional Provision	30
45	Permanent Endowment fund	30
46	General fund	30-31
47	Development fund	31
48	Maintenance of fund	31
49	Annual Report	31
50	Account and Audit	31-32
51	Mode of proofing the University record	32
52	Dissolution of University	32
53	Expenditure of the University during Dissolution	32-33
54	Power of remove difficulties	33



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 15 फरवरी, 2021 ई0

माघ 26, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 55/XXXVI(3)/2021/11(1)/2020

देहरादून, 15 फरवरी, 2021

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की विधेयक, 2020’ पर दिनांक 04 फरवरी, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या : 07, वर्ष-2021 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की अधिनियम, 2020

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2021)

तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रबन्धन शिक्षा, विधि शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, पत्रकारिता तथा संबंधित क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य की सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत सेठ रोशन लाल जैन न्यास, 07—किमी0 रुड़की—हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, वर्धमानपुरम्, रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा प्रायोजित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की नामक एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो;

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1.	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की अधिनियम, 2020 है।
		(2)	यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।
परिभाषाएँ	2.		इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ में, अन्यथा अपेक्षित न हो:—
		(क)	‘विद्या परिषद्’ से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
		(ख)	‘व्यवस्थापक मण्डल’ से विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है;
		(ग)	‘प्रबन्ध मण्डल’ से विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल अभिप्रेत है;
		(घ)	‘कुलाधिपति’ ‘कुलपति’, ‘प्रतिकुलपति’, ‘कुलसचिव’, ‘परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी’ से क्रमशः विश्वविद्यालय के ‘कुलाधिपति’ ‘कुलपति’, ‘प्रतिकुलपति’, ‘कुलसचिव’, ‘परीक्षा नियंत्रक’ एवं ‘वित्त अधिकारी’ अभिप्रेत है;
		(ङ)	‘वित्त समिति’ से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
		(च)	‘प्राधिकारी’ से विश्वविद्यालय का प्राधिकारी अभिप्रेत है;
		(छ)	‘सांविधिक/विनियामक निकाय’ से एक निकाय जिसका गठन उच्च शिक्षा के संगत क्षेत्रों में मानकों की स्थापना तथा उन्हें बनाए रखने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा किया गया हो, जैसे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन0एम0सी0), भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद (डी0सी0आई0), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0), भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी0सी0आई0एम0) एवं बार काउंसिल ऑफ इण्डिया (बी0सी0आई0) इत्यादि से अभिप्रेत है;
		(ज)	‘सरकार’ से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
		(झ)	‘संकाय’ से विश्वविद्यालय की संकाय अभिप्रेत है;
		(ञ)	‘राज्य’ से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
		(ट)	‘मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली’ से ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है, जो व्यावहारिक अथवा कार्य अनुभव सहित एक उच्च शिक्षा संस्थान या शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के माध्यम से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाईन और कभी-कभी सापेक्ष आमुख भेंट करने का अवसर उपलब्ध कराने के साथ अनेकानेक मीडिया का उपयोग कर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की खाई पाटकर लचीली ज्ञान अर्जन सेवाएं उपलब्ध कराती है;
		(ठ)	‘कर्मचारी’ से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं;
		(ड)	‘हाल’ अथवा ‘छात्रावास’ से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित अथवा मान्यता प्राप्त छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है;

- (ढ) 'स्थयी निवासी' से राज्य का ऐसा निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार नियत प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तराखण्ड राज्य में मूल निवासी/स्थायी निवास का वैध प्रमाण पत्र हो;
- (ण) 'प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति एवं उसकी शक्ति से उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अन्तर्गत 'गठित समिति' एवं उक्त अधिनियम में समिति को प्राप्त शक्तियाँ अभिप्रेत हैं;
- (त) 'प्रायोजक न्यास' से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत न्यास सेठ रोशन लाल जैन न्यास, 07-किमी0 रुड़की-हरिद्वार रोड, वर्धमानपुर, रुड़की, जिला हरिद्वार अभिप्रेत है;
- (थ) 'डिग्री' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट डिग्री अभिप्रेत है;
- (द) 'परिनियमों और नियमावली' से क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम और नियमावली अभिप्रेत हैं;
- (ध) 'अध्यापक' से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, व्याख्याता अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये;
- (न) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;
- (प) 'विश्वविद्यालय' से इस अधिनियम के अधीन स्थापित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की अभिप्रेत है;
- (फ) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

- | | | |
|--|----|--|
| विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव | 3. | <ul style="list-style-type: none"> (1) प्रायोजक न्यास को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की स्थापित करने का अधिकार होगा। (2) प्रायोजक न्यास द्वारा राज्य सरकार को विश्वविद्यालय स्थापना संबंधी प्रस्ताव अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया गया हो। |
| विश्वविद्यालय की स्थापना | 4. | <ul style="list-style-type: none"> (1) उत्तराखण्ड राज्य में हरिद्वार में प्रायोजक न्यास द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित जायेगा। (2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा। (3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय 07-किमी0 रुड़की-हरिद्वार रोड, वर्धमानपुरम, रुड़की, जिला हरिद्वार होगा। (4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यास्थापक मण्डल, प्रबन्ध मण्डल एवं विद्या परिषद् के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुए विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद चालया जा सकेंगे। (5) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न जिसके लिए उन्हें अधिग्रहित किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा; (6) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, संकाय, भूमि, भवन व अन्य ढांचागत सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता इत्यादि के सम्बंध में यूजीसी एवं अन्य संबंधित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा समय-समय पर प्रदत्त न्यूनतम मानदंडों का पालन किया जायेगा। (7) विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत, निर्मित, व्यवस्थित अथवा सृजित भूमि एवं अन्य चल-अचल सम्पत्तियों, प्रायोजक न्यास की सम्पत्तियों को छोड़कर, विश्वविद्यालय को अन्तरिम एवं उसमें निहित हो जायेगी। |

- (8) विश्वविद्यालय अपने कार्यक्रमों को निजी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ फ्रैंचाइजींग व्यवस्था के द्वारा प्रदान नहीं करेगी, चाहे पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से संचालित किया जाना हो;
- (9) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 एवं समय-समय पर उसमें होने वाले संशोधनों का पालन करेगी;
- (10) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 एवं समय-समय पर उसमें होने वाले संशोधनों का पालन करेगी;
- (11) विश्वविद्यालय केवल ऐसी डिग्री प्रदान करेगा, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो;
- (12) विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित विनियमों के अनुसार अपनी प्रथम डिग्री एवं मास्टर डिग्री कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।
- विश्वविद्यालय स्थापना के लिए शर्तें 5 प्रायोजक न्यास को इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होगी—
- (क) विश्वविद्यालय के लिए न्यूनतम 10 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व है;
- (ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर कारपेट ऐरिया में भवन निर्माण जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रायोजनों के लिए है;
- (ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम चार करोड़ रुपये की लागत से कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में उपस्करों की स्थापना की गई है;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम पर धारा 45 में निर्धारित स्थायी विन्यास निधि की स्थापना की जायेगी।
- विश्वविद्यालय का आरम्भ 6 (1) राज्य सरकार प्रायोजक न्यास द्वारा धारा 5 में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी करने के प्रस्ताव एवं संबंधित अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी।
- (2) राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के संचालन प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रायोजक न्यास विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करेगी।
- विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना 7 विश्वविद्यालय स्व वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायता अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मांग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा।
- किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना 8 विश्वविद्यालय को किसी भी महाविद्यालय अथवा संस्थान से डिप्लोमा, डिग्री या अन्य उपाधियों को प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सम्बद्ध करने की शक्ति नहीं होगी।
- विश्वविद्यालय के उद्देश्य 9 जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं:—
- (क) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधि शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान के समस्त तत्त्वों के व्यापक अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य की व्यवस्था करना;
- (ख) यू0जी0सी0 एवं सांविधिक/विनियामक निकाय और राज्य सरकार की पूर्वानुमति एवं निर्धारित प्रक्रिया व मानदण्डों का अनुपालन करते हुये तकनीकी शिक्षा, प्रबन्धकीय, उच्च शिक्षा, विधि शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं पत्रकारिता इत्यादि पाठ्यक्रमों का संचालन करना;
- (ग) तकनीकी, प्रबन्धकीय, उच्च शिक्षा, पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवान्मेष को प्रोत्साहित करना;

- (घ) बाह्य अध्ययन,, विस्तार कार्यक्रम एवं बाह्य क्षेत्रीय गतिविधियों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना;
- (ङ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव और नैतिकता का अभियन्त्रीकरण को बढ़ावा देना;
- (च) सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के संबर्धन एवं विकास में योगदान करना एवं उक्त छात्रों को मुख्य धारा में शामिल करने का अवसर प्रदान करना;
- (छ) जैसा कि आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक एवं सहायक हो;

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

10

विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी:—

- (क) तकनीकी शिक्षा, प्रबन्धकीय, उच्च शिक्षा, विधि शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान पत्रकारिता तथा संबंधित सभी विषयों में शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्रावधान करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियाँ सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हों;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ सन्निहित और प्रदान करना जिन्होंने:—
 - (एक) विश्वविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; अथवा
 - (दा) विश्वविद्यालय में या किसी दूरस्था शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो।
- (घ) परिनियमों/प्रावधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियों, या अन्य शैक्षिक विशेषताएँ प्रदान करना;
- (ङ) परिनियमों के अनुसार अध्येयतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ एवं पुरस्कार आदि प्रदान करना;
- (च) ऐसी फीस, बिल व बीजक की माँग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जाये;
- (छ) धारा 9 में उल्लिखित तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधि शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, पत्रकारिता और अन्य क्षेत्र में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;
- (ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त (पाठ्येत्तर) अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;
- (झ) विश्वविद्यालय में संक्राय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
- (त्र) प्रायोजक न्यास की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल एवं अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निस्तारण करना;
- (ट) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हाल की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;
- (ठ) आवास का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना;
- (ड) प्रशासनिक, प्रन्धन एवं अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों के आवश्यक पदों का सृजन;
- (ढ) अन्य विश्वविद्यालय से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;
- (ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदण्ड के अनुसार आयोजित किया जा सकें।
- (त) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम का आयोजन और संचालन;

- (थ) विश्वविद्यालय में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;
- (द) विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था करना;
- (घ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे अन्य सभी कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हो या न हो;
- (न) स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र आदि के लिए पाठ्यक्रम आरम्भ करना;
- (प) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को प्रायोजक न्यास की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग रखना;
- (फ) फिल्म, कैसेट, टेप, विडियो कैसेट, सीडी0, बी0सी0डी0 और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;
- (ब) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और ऐसी दी गई मान्यता किसी भी समय वापस लेना;
- (भ) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;
- (म) संविदा करना उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना;

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति सम्प्रदाय एवं लिंग की पहुँच

11. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति, सम्प्रदाय या लिंग का हो, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा;

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने पर प्रतिबन्ध है:

परन्तु यह और कि इस धारा के किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जाये कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में यूजीसी एवं संबंधित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

12. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से नियमानुसार मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय-तीन विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

13. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-
- (क) कुलाध्यक्ष (विजिटर)
 - (ख) कुलाधिपति;
 - (ग) कुलपति;
 - (घ) प्रति-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर);
 - (ङ) संकायाध्यक्ष;
 - (च) कुलसचिव;
 - (छ) वित्त अधिकारी; और
 - (ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाये।

कुलाध्यक्ष

14. (1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियाँ एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिये आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

- (3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—
 (क) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बंधित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मंगाना :
 (ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि उसको यह समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय व किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अधिनियम परिनियम, विनियम, अध्यादेश अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी संबंधितों, पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
- (4) मानद उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अधधीन होगा।
- कुलाधिपति 15. (1) प्रायोजक न्यास के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष होगा। तत्पश्चात् प्रायोजक न्यास द्वारा अपने सदस्यों में से कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति की नियुक्त करेगा।
 (2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो उसे इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायें।
- कुलपति 16. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसी निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।
 (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्
 (क) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित एक सदस्य;
 (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;
 (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;
 (घ) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत चार सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।
 (3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेजेगी।
 (4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षक और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।
 (5) जहाँ अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके सम्बंध में कार्रवाई करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सकें तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।
 (6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।
 (7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच करने पश्चात् कुलपति को हटाने का अधिकार है। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गंभीरता के दृष्टिगत, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेगा।
- प्रति—कुलपति 17. प्रति—कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी; जैसा कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति—कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- संकायाध्यक्ष 18. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा

- जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- कुलसचिव 19. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी, जैसे कि परिनियम में विहित की जाए।
 (2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।
 (3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।
 (4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।
- वित्त अधिकारी 20. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जाये।
- अन्य अधिकारी 21. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें, तथा शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किये जाये।

अध्याय—चार विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण 22. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:—
 (क) व्यवस्थापक मण्डल,
 (ख) प्रबन्ध मण्डल;
 (ग) विद्या परिषद;
 (घ) वित्त समिति; और
 (ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किया जाएगा।
- व्यवस्थापक मण्डल व शक्तियाँ 23. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे:—
 (क) कुलाधिपति—अध्यक्ष;
 (ख) कुलपति—सदस्य—सचिव;
 (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;
 (घ) प्रायोजक न्यास द्वारा नामित पांच सदस्य;
 (ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबन्धन संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान/राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आदि जैसे प्रमुख संस्थानों के नामित अधिकारियों में से कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;
 (च) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन शिक्षक;
 (छ) कुलाध्यक्ष के द्वारा नामित उद्योग जगत के तीन सदस्य;
- (2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य नियंत्रक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होगी:—
 (क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण कर जाने वाली नीतियों का निर्धारण
 (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो का पुनर्विलोकन

			(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन; (घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों अथवा नियमावलियों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन; (ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बंध में विनिश्चय करना; (च) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन; और (छ) ऐसे निर्णय एवं कदम उठाना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं।
		(3)	व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।
प्रबन्ध मण्डल	24.	(1)	प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे— (क) कुलपति; (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबन्धन संस्थान/भारतीय प्रबन्धन संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान/राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में से एक अधिकारी (ग) प्रायोजक न्यास द्वारा नामित पांच सदस्य। (घ) एक वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक; (ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित दो संकायाध्यक्ष; (च) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न पद का न हो; (छ) कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति एवं कुल सचिव इसके सचिव होंगे। (2) प्रबन्ध मण्डल का शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जैसा विहित किये जायें।
विद्या परिषद्	25.	(1)	विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे— (क) कुलपति—सभापति। (ख) कुलसचिव—सचिव। (ग) ऐसे अन्य सदस्य जैसा परिनियमों में विहित किया जाये। (2) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षक करेगी।
वित्त समिति	26.	(1)	वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे— (क) कुलपति—सभापति। (ख) वित्त अधिकारी। (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो। (घ) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें। (2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देख-रेख करेगी और इस अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित परिनियमों तथा नियमावली के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
अन्य प्राधिकारी	27.		विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियम/नियम में विहित किये जायें।
रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	28.		विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की कार्यवाही का कोई कार्य या कार्यवाही इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण गठन में कोई रिक्ति विद्यमान थी।

- शुल्क 29. विश्वविद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय—पांच
परिनियम और नियम

- परिनियम 30 इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारी, अधिकारी के सम्बंध में किसी विषय के लिए परिनियम द्वारा व्यवस्था की जा सकेगी, जो निम्नवत् है:—
- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य—सम्पादन और ऐसी इकाइयों के भी कार्यों की प्रक्रिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;
 - (ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;
 - (ग) कुलाधिपति की नियुक्ति व उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;
 - (घ) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति के नियम व शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य;
 - (ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, अध्यापकों, संकाय सदस्य और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा शर्तें;
 - (च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, अध्यापकों, संकाय सदस्य, कर्मचारियों अथवा छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण;
 - (छ) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उसकी पुनर्गठन;
 - (ज) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;
 - (झ) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;
 - (त्र) निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों प्रदान करने के सम्बंध में उपबन्ध;
 - (ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया, जिसमें उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिए स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है;
 - (ठ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियों, फीस माफी, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;
 - (ड) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया; और
 - (ढ) अन्य मामले जो विहित किये जायें।
- परिनियम कैसे बनाए जायेंगे 31. व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम, अधिनियम के प्रभावी होने के तीन माह के भीतर, राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तरण के साथ या बिना उपान्तरण के परिनियमों को तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- परिनियम में संशोधन करने की शक्ति नियम 32. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।
33. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नियमों में निम्न या समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्
- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;
 - (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
 - (ग) उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

- (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियों, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों (माडरेटर) की नियुक्ति की शर्तें व रीति तथा उनके कर्तव्य;
- (च) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाना वाला शुल्क;
- (छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क,
- (ज) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;
- (झ) विश्वविद्यालय में छात्रों में अनुशासन बनाये रखना;
- (त्र) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों में प्रावधान किया जाए।

नियमावली कैसे बनायी जायेगी

34. व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी गयी प्रथम नियमावली, अधिनियम के प्रभावी होने के तीन माह के भीतर, राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो उपान्तरण के साथ या बिना उपान्तरण के नियमावली पर तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

नियमावली को संशोधित करने की शक्ति

35. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या नियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्याय—छः

प्रकीर्ण

कर्मचारी की सेवा शर्तें

36. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति लिखित संविदा/अनुबन्ध पर जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जायेगी।
- (2) छात्रों, कर्मचारियों, अध्यापकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थ अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बंध कर्मचारी द्वारा नामित एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त अधिनिर्णायक होंगे।
- (4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (5) अधिकरण के कार्यों को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों के लिए उपबन्ध

37. (1) विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 40 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो रिक्त सीटें अन्य छात्रों द्वारा भरी जा सकेंगी।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों के लिए तय शुल्क में उपधारा (1) में वर्णित उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- (3) समूह "ग" एवं "घ" के समस्त पद उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार भरा जायेंगा।
- (4) उपरोक्त उपधारा (1) में वर्णित आरक्षित सीटों पर विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित/लागू आरक्षण नीति का अनुपालन करेगा।

अपील का अधिकार

38. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय के विनिश्चय के विरुद्ध मण्डल को, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है पुष्टि, उपान्तरित, परिवर्तित या निरस्त कर सकेगा।

- भविष्य निधियां एवं पेंशन 39. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायें, ऐस भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे।
- विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद 40. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य सदस्य के रूप में विधिवत् निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
- समितियों का गठन 41. श्रजब भी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ गठित करने की शक्ति प्रदान की गई हो, वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बंधित प्राधिकारी का कोई, समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।
- आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति 42. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता है।
- सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण 43. इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, किसी बात के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाही में, जो विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।
- संक्रमणकालीन उपबन्ध 44. इस अधिनियम और परिनियमों के किन्ही अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी :
(क) प्रथम कुलपति एवं प्रति-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर), यदि कोई है कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेगा।
(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी, जो तीन वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेगा।
(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा।
(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।
- स्थायी विन्यास निधि 45. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड पांच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पांच वर्ष की होगी तथा समयावधि पूर्ण होने पर प्रति पाँच वर्ष पश्चात नवीनीकृत किया जाता रहेगा तथा उक्त बैंक गारन्टी में प्रति पांच वर्ष में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- सामान्य निधि 46. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्—
(क) विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले सभी शुल्क;
(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
(ग) प्रायोजक न्यास द्वारा किये गये सभी अंशदान; और
(घ) किसी न्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।
(2) सामान्य निधि से जमा धन को विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए लागू किया जायेगा।
- विकास निधि 47. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेगी, अर्थात्

		(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रसारित किया जाये; (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि; (ग) प्रायोजक न्यास द्वारा किये गये सभी अंशदान; (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और (ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।
	(2)	समय-समय पर विकास निधि में जमा की गयी निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।
निधि का अनुरक्षण	48.	धारा 45, 46 और 47 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षक और नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।
वार्षिक प्रतिवेदन	49.	(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया जायेगा। (2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकेगा। (3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।
लेखा व लेखा परीक्षा	50.	(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्धक मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी। (2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों की प्रति वर्ष लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आई0सी0ए0आई0) के सदस्य हो। (3) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र की एक प्रति प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी। (4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखों, तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा सम्बंधी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रति वर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा। (5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों और लेखा-परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।
विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति	51.	विश्वविद्यालय के कब्जे में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत् रखी गई किसी पूँजी की प्रविष्टि यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टता साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो।
विश्वविद्यालय का विघटन	52	(1) यदि प्रायोजक न्यास यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके विघटन का प्रस्ताव करती है, तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह पूर्व लिखित नोटिस देना होगा। (2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाई की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसा राज्य सरकार

- द्वारा निर्धारित किया जाये, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय की प्रबन्धन को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
- (3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रशासन को नियमानुसार अधिग्रहित करेगी।
- विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय 53
- (1) धारा 52 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।
- (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्धन ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तावरण द्वारा की जा सकेगी।
- कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति 54.
- (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हों, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;
- परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्यों और करणों का कथन

राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु यह विनिश्चित किया गया है कि 07-किमी० रुड़की-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, वर्धमानपुरम, रुड़की, जिला हरिद्वार में सेठ रोशन लाल जैन ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी रुड़की नाम से एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये। उक्त विश्वविद्यालय का लक्ष्य शिक्षा का अभिनवीकरण, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को प्रदान करना और रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

डॉ० धन सिंह रावत
मंत्री

No. 55/XXXVI(3)/2021/1 1(1)/2020

Dated Dehradun, February 15, 2021NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**The University of Engineering and Technology Roorkee Act, 2020**' (Act No. 07 of 2021).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 04 February, 2021.

The University of Engineering and Technology Roorkee, Act, 2020

(Uttarakhand Act No. 07 of 2021)

An

Act

To establish and incorporate a Private University in the name of University of Engineering and Technology Roorkee with the objective of providing facilities of Education, Training and Research work in Technical Education, Higher Education, Management Education, Law Education, Social Science, General Science, Journals and related areas, sponsored by Seth Roshan Lal Jain Trust, 07 KM Roorkee Haridwar Road, Vardhmanpuram, Roorkee, District Haridwar registered under the Indian Trusts Act, 1882.

It is hereby enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy First Year of the Republic of India as follows;

CHAPTER- I**Preliminary**

Short title and Commencement	1.	(1)	This Act may be called the University of Engineering and Technology Roorkee Act, 2020.
		(2)	It shall come into force on such date, as the State Government may by notification in the official Gazette, appoint.
Definitions	2.		In this Act, unless the context otherwise requires :-
		(a)	“Academic Council” means the Academic Council of the University;
		(b)	“Board of Governors” means the Board of Governors of the University;

- (c) "Board of management" means board of management of the University;
- (d) "Chancellor", "Vice-Chancellor", "Pro Vice-Chancellor", "Registrar", "Controller of Examination" and "Finance Officer" respectively means the "Chancellor", "Vice-Chancellor", "Pro Vice-Chancellor", "Registrar", "Controller of Examination" and "Finance Officer" of the University;
- (e) "Finance committee" means the Finance committee of the University;
- (f) "Authority" means the Authority of the University;
- (g) "Statutory/Regulatory Body" means a body so constituted by the Central/State Government Act for setting and maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as All India Council for Technical Education (AICTE), National Medical Commission (NMC), Dental Council of India (DCI), National Council for Teacher Education (NCTE), Central Council of Indian Medicine (CCIM) and Bar Council of India (BCI), etc.;
- (h) "Government" means the Government of Uttarakhand;
- (i) "Faculty" means faculty of the University.
- (j) "State" means State of Uttarakhand;
- (k) "Open and Distance learning" mode means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the presence of an Higher Education Institution or Learner Support Services to deliver teaching-learning experiences, including practical or work experiences;
- (l) "Employee" means employee appointed by the University and also includes teachers and other staff of the University.
- (m) "Hall" or "Hostel" means a unit of residence for students maintained or recognized by the University;
- (n) "Permanent Resident" means any resident of the state who has the valid domicile/permanent resident certificate the state of Uttarakhand Issued by the prescribed authority as per the rules framed by the State Government from time to time;
- (o) Fee and Admission Regulatory Committee and its powers" means the Fee and Admission Regulatory Committee constituted under Section 4 of the Uttarakhand Unaided Private Professional Educational Institutions (Admission and Fee Regulation) Act, 2006 and the powers given to the committee in the said Act;
- (p) "Sponsor Trust" means Seth Roshan lal Jain Trust, 07 KM Roorkee Haridwar Road, Vardhmanpuram Haridwar Uttarakhand registered under the Indian Trust Act 1882;
- (q) "Degree" means a degree specified under sub-section (3) of Section 22 of the University Grants Commission Act, 1956;

- (r) "Statutes" and "Rules" mean, respectively the statutes and Rules of the University;
- (s) "Teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Lecturer or such other person as may be appointed under norms of University Grants Commission for imparting instruction or conducting research in the University.
- (t) "University" Grant commission' means University Grants Commission established under University Grants Commission Act, 1956;
- (u) "University" means the University of Engineering and Technology Roorkee established under this Act;
- (v) "Visitor" means the Visitor of the University;

CHAPTER- II

The University and its Objects

- | | | |
|--|----|---|
| Proposal for the establishment of the University | 3. | <ul style="list-style-type: none"> (1) The Sponsor Trust shall have the right to establish the University of Engineering and Technology Roorkee in accordance with the provisions of this Act. (2) Containing the proposal related to establishment of University along with documents has been presented to the State Government by the Sponsor Trust. |
| Establishment of the University | 4. | <ul style="list-style-type: none"> (1) A University in the name of University of Engineering and Technology Roorkee, shall be established by the sponsor Trust in Haridwar Uttarakhand. (2) The University shall be a corporate body; (3) The Headquarters of University shall be at 07 KM Roorkee Haridwar Road, Vardhmanpuram, Roorkee District Haridwar Uttarakhand; (4) The Chancellor, the Vice-Chancellor, members of the Board of Governors, members of the Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University so established, may sue and be sued in the name of the University. (5) The land, building and other properties acquired for the university shall not be used for any purpose, other than that for which the same is acquired. (6) The University shall fulfill the minimum criteria in terms of all courses, faculty, land, building and any other infrastructural facilities, financial viability, etc., as laid down from time to time by the UGC and other concerned Statutory/Regulatory body. (7) On the establishment of the University, the land and other movable and immovable properties acquired created, arranged or built by the University for the purpose of the University, except the properties of Sponsor Trust, shall stand transferred to and vested in the University. |

		(8) The University shall not offer its programmes through franchising arrangement with private coaching institutions even though the courses are to be conducted through distance mode. (9) The University shall comply with the University Grants Commission (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulation, 2003 and amendments made therein from time to time. (10) The University shall comply with the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulation, 2017 and amendments made therein from time to time; (11) The University shall award only such degrees as are specified by the University Grants Commission and published in the Official Gazette; (12) The University shall conduct their first degree and Masters degree programmes in accordance with the regulations notified by the University Grants Commission in this regard.
Conditions for the establishment of the University	5.	The Sponsor Trust shall for the purposes of establishing the University under this Act shall fulfill the following conditions, namely. (a) Have ownership of minimum 10 acres contiguous land for the university; (b) Building construction on land mentioned in clause (a) of minimum of 20,000 sqm carpet area in which at least 50 percent, shall be for academic and administrative purposes; (c) Equipments have been established in offices and laboratories of the building as specified in clause (b) worth of minimum rupees four crore; (d) The university shall establish a permanent endowment fund in the name of the State Government Under section 45.
Starting of the University	6.	(1) The State Government shall issue the authority letter after verifying the proposal along with documents received from the Sponsor Trust to the effect that all conditions referred to in section 5 has been fulfilled. (2) The Sponsor Trust shall start the functioning of the University only after obtaining the authority letter for the commencement of the functioning of the University, by the State Government.
University shall not be entitled for any financial Assistance etc	7.	The University shall be self-financed and shall neither make a demand nor shall be entitled to any grant in-aid or any other financial assistance from the State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government.

No power to affiliate any institution	8.	The University shall have no power to affiliate any college or institution for conducting courses leading to award of its diplomas, degrees or other qualifications.
Objectives of the University	9.	The objectives for which the University is established are as follows: (a) To provide for extensive study, teaching, and research of all elements of Technical Education, Higher Education, Law Education, Social Science, General Science; (b) To conduct the courses of Technical Education Management Education, Higher Education, Law Education, Social Science, General Science, Journalism etc; with the prior permission and to adhere to procedure and norms laid down by UGC and Statutory/ Regulatory body and State Government; (c) To promote research and innovations In the Technical, Management, Higher education, Journalism; (d) To undertake external studies, extension programs and external field out activities to contribute to the development of society; (e) To promote National integration, secularism, social and international harmony and engineering of ethics; (f) To contribute to the promotion and development of economically and socially deprived class and provide to such students the opportunity to join mainstream. (g) As required, doing all such works that is necessary, relevant and helpful for achieving all or any of the objectives of the University.
Power of the University	10.	The University shall have the following powers, :- (a) To make education arrangements in all subjects pertaining to Technical Education, Management, Higher. Education, law Education, Social Science, General Science; Journalism and to provide for the promotion and dissemination of research and knowledge; (b) To carry out all such activities as may be necessary or feasible for achieving the objects of the University; (c) To hold examinations for, and to institute grant and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who- (i) Have pursued a course of study in the University or in a distance education system; or (ii) Have carried on research in the University or under its distance education system. (d) To confer honorary degree or other academic distinctions in the manner and under condition laid down in the Statutes/provisions; (e) To award fellowships, scholarships, and prizes etc. in accordance with the Statutes;

- (f) To demand and receive such fee, bills and invoices and collect charges as may be fixed by the Statutes or rules, as the case may be;
- (g) To make provisions for the advancement of education in Technical Education, Higher Education, Law Education, Social Science, General Science; Journalism and other areas mentioned in Section 9;
- (h) To provide other extracurricular activities for students and employees apart from education;
- (i) To make appointment of faculty, officers and employees in the University;
- (j) To receive donations and gifts of any kind and to acquire, hold, manage maintain and dispose of any movable and immovable property, including trust and endowment properties for the purpose of the University with the prior permission of Sponsor Trust.
- (k) To establish and maintain halls and to decide places of residence for students of the University;
- (l) To supervise and control the residence, and regulate the discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their Code of Conduct;
- (m) To create the necessary posts of the employees in the administrative, management and other sectors;
- (n) To co-operate or collaborate with other Universities in such a manner and for such purposes as the university may determine from time to time.
- (o) To provide distance education system and the manner in which distance education in relation to the academic programs of the University may be organized as per procedure and norms prescribed by University Grants Commission and other concerned Statutory/Regulatory body;
- (p) To organize and conduct refresher courses, orientation courses, workshops, seminars, and other programs for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;
- (q) To determine standards of admissions to the University through specilized committees with the approval of Academic Council;
- (r) To make special provision for students belonging to the state of Uttarakhand for admission in any course of the University;
- (s) To do all such other acts whether Incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to pursue the objectives of the University;
- (t) To prescribe courses for Bachelor Degree, Post Graduate and Research and to start the courses for diploma, certificates etc;
- u) To clearly set apart Academic Activities of the University from the activities the sponsor trust;

- | | | |
|---|-----|--|
| | (v) | To make arrangements for the preparation of instructional materials, including films, cassettes, tapes, video cassettes, CD, VCD and other software's; |
| | (w) | To recognize examinations, or periods of study (full or partial) at, other universities, Institutions or other places of higher learning as equivalent to examination or periods of study in the University and to withdraw such recognition at anytime; |
| | (x) | To raise, collect, accept and get loan with the approval of the Board of Governors, with or without the security of property of the University for the purpose of the University; |
| | (y) | To enter into, carry out, vary or cease contracts; |
| Access to all classes, castes, creed and gender in the university | 11. | The University shall be open to all persons irrespective of class, castes, creed or gender:

Provided that nothing in this Section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission to students of the State of Uttarakhand:
Provided further that nothing In this Section shall be deemed to require the University to admit in any course of Study a larger number of students than may be determined by the UGC and other concerned Statutory/Regulatory body. |
| National Accreditation | 12. | The University shall seek accreditation from the various national University accreditation bodies as per rules. |

CHAPTER-III **Officers of the University**

- | | | |
|----------------------------|-----|--|
| Officers of the University | 13. | The following shall be the officers of University:
(a) The Visitor;
(b) The Chancellor;
(c) The Vice-Chancellor;
(d) The Pro Vice Chancellor;
(e) The Dean of faculties;
(f) The Registrar;
(g) The Finance Officer; and
(h) Such other officers as may be declared by the statutes as the officers of the University. |
| The Visitor | 14. | (1) The Governor of Uttarakhand shall be the Visitor of the University.
(2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degree and diplomas.
(3) The Visitor shall have the following powers, namely:-
(a) To call for any record, paper or information relating to the affairs of the university. |

- (b) On the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, minutes or decision whether taken by any authority or University is not in conformity with the Act, Statutes, Regulation Ordinance or Rules he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by all concerned office bearers.
- (4) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the approval of the Visitor.
- The Chancellor 15. (1) Chairman of Sponsor Trust shall be the first Chancellor of the University, whose tenure shall be of three years. Thereafter Sponsor Trust, with the prior concurrence of the Visitor, shall appoint Chancellor from amongst its members.
- (2) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes made there under.
- The Vice-Chancellor 16. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed by the Statues for a terms of three years by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).
- (2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, namely:-
- (a) One member nominated by the Visitor;
- (b) One member nominated by the Chancellor
- (c) The Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department;
- (d) Four members nominated by the Board of Governors, one of them shall be nominated as the convener of the committee by the Board of Governors.
- (3) The Committee shall, on the basis of merit prepare a panel of names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the Chancellor along with a concise statement showing the academic qualifications and other particulars of each person.
- (4) The Vice-chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University who shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
- (5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officers or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may

		deem fit with prior approval of the Chancellor.
	(6)	The Vice-Chancellor shall exercise such other power and perform such other duties as may be laid down by the Statutes or the Rules.
	(7)	The Chancellor has power to remove the Vice-Chancellor after due enquiry. it will be open to the Chancellor to suspend the Vice-Chancellor during enquiry keeping in view upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.
Pro Vice-Chancellor	17.	A Pro Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor with prior approval of the Chancellor in such manner as may be prescribed by Statutes and shall exercise such power and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.
Dean of Faculties	18.	Deans of faculties shall be appointed by the Vice-chancellor in such manner as may be prescribed in the status and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.
The Register	19.	(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such term and conditions as may be prescribed by the Statutes. (2) The Registrar shall enter into and sign all contracts on behalf of the University. (3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other power and perform such other duties as may be prescribed or may be required by the Chancellor or the Vice-chancellor from time to time. (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and document as may be necessary for transaction of their business.
The Finance Officer	20.	The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
Other Officers	21.	The manner of appointment, terms and condition of service and power and duties of the officers of the University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-IV
Authorities of the University

- | | | |
|--|-----|--|
| Authorities of
The University | 22 | <p>The following shall be the authorities of the University, namely :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) The Board of Governors; (b) The Board of Management; (c) The Academic Council; (d) The Finance Committee; and (e) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University; |
| The Board of
Governors and its
Power | 23. | <p>(1) The Board of Governors shall consist of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) The Chancellor - Chairman; (b) The Vice Chancellor— Member-Secretary; (c) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department; (d) Five persons nominated by the Sponsor Trust; (e) An officer amongst from the officers nominated in the institutes such as Central University, Indian Institute of Technology/Indian Institute of Management/Indian institute of Science/Institute of National Ayurveda nominated by the Chancellor; (f) Three teachers nominated by the Visitor (g) Three nominees of industries nominated by the Visitor. <p>(2) The Board of Governors shall be the chief governing body of the University & shall have the following powers; namely :--</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) to determine policies to be followed by the University; (b) to review decisions of the other authorities of the university if they are not in conformity with the provision of this Act, or the Statutes or the Rules; (c) to approve the budget and annual report of the University; (d). to make new or additional Statutes or Rules or amend or repeal, the earlier statutes and Rules; (e) to take decision about voluntary winding up of the university; (f) to approve proposals for submission to the State Government; and (g) to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objectives of the University. <p>(3) The Board of Governors shall, meet at least three times in year at such time and place as the Chancellor thinks fit.</p> |

The Board of Management	24.	(1)	The Board of Management shall consist of following members:- (a) The Vice-Chancellor; (b) An officer amongst from the officers nominated in the Indian Institute of Technology/Indian Institute of Management/Indian Institute of Science/Institute of National Ayurveda nominated by the Chancellor; (c) Five Persons, nominated by the Sponsor Trust; (d) Two Professor of the University, by rotation on the basis of seniority for a period of one year; (e) Two Deans of the faculties nominated by the Chancellor; (f) Principal secretary/Secretary to the Government in the Higher Education Department or person nominated by him not below the rank of Joint Secretary to the State Government. The Vice-Chancellor and the Registrar shall be the Chairperson. (g) The Registrar shall be the Secretary of the Board of Management.
		(2)	The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed
The Academic Council	25.	(1)	The Academic Council shall consist of following members:- (a) the Vice-Chancellor—Chairman; (b) the Registrar-Secretary; (c) Such other members as may be prescribed in Statutes.
		(2)	The Academic council shall be the Principal Academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, and the Statutes and the Rules made thereafter, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University
The Finance Committee	26.	(1)	The Finance Committee shall consist of:- (a) the Vice-Chancellor-Chairman (b) the Finance Officer; (c) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or person nominated by him not below the rank of Joint Secretary to the State Government; (d) Such other member as may be the prescribed in the Statutes.
		(2)	The Finance Committee shall be the Principal financial body of the University who shall look after the financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes and Rules, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.

Other Authorities	27.	The constitution, power and functions of the other Authorities of the University shall be such as may be prescribed in Statutes/Rules.
Proceeding not Invalidated on accounts of Vacancy Fee	28.	No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy in the constitution of the authority.
	29.	The fee of the courses run by the university shall be determinated by the Admission and Fee Regulatory Committee.

CHAPTER-V **Statutes and Rules**

Statutes	30.	Subject to the provisions of this Act, the statutes may provide for any matter relating to the University and officers/employees as given below:-
	(a)	The procedure for transaction of business of the Authorities of the University and the composition of bodies not specified in this Act;
	(b)	The operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;
	(c)	Appointment of the Chancellor; his powers and functions;
	(d)	The terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor, the Registrar and the Finance officer and their powers and functions;
	(e)	The mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers, faculty members and employees of the University;
	(f)	The procedure for resolving disputes between the University and its officers, teachers, faculty members, employees and faculties;
	(g)	Creation, abolition or restructuring of departments and faculties;
	(h)	The manner of co-operation with other Universities or institutions of higher learning.
	(i)	The procedure for conferment of honorary of degrees;
	(j)	Provisions regarding grant of free education and scholarships;
	(k)	Number of 'seats in different courses and the procedure of admission of student to such courses including reservation of seats and procedure of reservation for students of Uttarakhand.
	(l)	Constitution of fellowships, scholarships, studentships, fee waiver, medals and prizes;

		(m) procedure for creation and abolition of posts; (n) other matters which may be prescribed.
Statutes how to be made	31.	The First statutes framed by the Board of Governors shall be submitted to the State Government for its approval within three months after the application of Act, which may, within three months from the date of receipt of the Statutes give its approval with or without modification.
Power to amend the statutes	32.	The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional statutes or amend or repeal the Statutes.
Rules	33.	Subject to the provisions of this Act, the Rules, may be provided for all or any, of the following matters, namely:- (a) Admission of students in the University and their enrolment and continuance as such; (b) The course of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University; (c) Award degree and other academics distinctions; (d) The conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals, and prizes; (e) The conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies examiners, invigilators, tabulators and moderators; (f) Fee chargeable from students for various courses; (g) The fee to be charged for admission to the examination, degrees and other academic distinctions of University; (h) The conditions of residence of the students at the University; (i) To maintain discipline among the students of the University; (j) All other matters as may be provided under the rules made under this Act.
Rules how to be made	34.	The First rules framed by the Board of Governors shall be submitted to the State Government for its approval within three months after the application of the Act, which may within three months from the date of receipt of the rules give its approval, with or without modification.
Power to amend Rules	35.	The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional rules or amend or repeal the rules.

CHAPTER-VI
Miscellaneous

Service condition of employee	36.	(1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be kept In the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned. (2) Disciplinary action against the students, employees, teachers and officers shall be governed by procedure prescribed in the Statutes. (3) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall, at the request of the employee, be referred to a tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an Adjudicator appointed by the Chancellor. (4) The decision of the tribunal in such matter shall be final. (5) The procedure for regulating the work of the Tribunal shall be such as may be prescribed.
Provision for Permanent Resident of Uttarakhand	37.	(1) For admission in various courses conducted by the University, minimum 40 percent seats shall be reserved for the permanent residents of the State of Uttarakhand. If the reserved seats for permanent residents remain vacant, than the vacant seats may be filled from amongst the other candidates. (2) 25 percent rebate shall be given to the permanent residents of Uttarakhand in the fees fixed for various courses conducted by the University, as mentioned In sub-section (1) above. (3) All posts of Group 'C' and 'D' employees shall be filled by the permanent residents of State of Uttarakhad. (4) The University shall follow the reservation policy of the State Government with regard to seats reserved under sub section (1) above, as amended from time to time.
Right to appeal	38.	Notwithstanding anything contained in the Act, Every employee or student of the University have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the decision and thereupon the Board of Management may confirm, modify, alter or cancel the decision appealed against.
Provident fund and pension	39.	The University shall constitute for the benefit of its employee such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.
Disputes as to constitution of University	40.	If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled, to be a member of any authority University,

authorities And bodies		the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
Constitution of Committee	41.	Whenever any authority of the University is given power by this Act or the statutes to constitute Committee, such committees shall, save as otherwise provided, consist of any or all the members of the authority concerned and of such other person, if any, as the authority in each case thinks fit.
Filling of causal Vacancies	42.	Any causal vacancy among the members, other than ex-officio members of any Authority or body of the University shall be filled in same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling vacancy shall be a member of such authority or body for the remaining term for which the person whose place he/she fills would have been a member.
Protection of action taken in good faith	43.	No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or other employee of the University for anything, which is done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the Rules made there under.
Transitional Provision	44.	Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act and the Statutes:- (a) The first vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, if any shall be appointed by the chancellor and the said officer shall hold office for a term of three years; (b) The first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold office for a term of three years; (c) The first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three years; (d) The first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic council shall be constituted by the Chancellor for a term of three years.
Permanent Endowment fund	4.5	The University shall establish a permanent endowment fund of Rs. Five Crores in the form of a Bank Guarantee of a Nationalized Bank pledged in the name of State Government of Uttarakhand whose tenure shall be five years and after that shall be renewed for five years again and the said Bank Guarantee shall be increased by 25 percent after every five years.
General fund	46.	(1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:- (a) All fees which may be charged by the University; (b) All amount received from any other source;

- | | | |
|---------------------|-----|---|
| | | (c) All contributions made by the Sponsor Trust; |
| | | (d) All contribution/donations made in this behalf by any other person or body, which are not prohibited by any law for the time being in force. |
| | (2) | The funds credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University. |
| Development fund | 47. | (1) The University shall so establish a development fund to which the following funds shall be credited, namely;- |
| | | (a) Development fees which may be charged from students; |
| | | (b) All amounts received from any other source for the purpose of the development of the University; |
| | | (c) All contributions made by the sponsor Trust. |
| | | (d) All contribution/donation made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and |
| | | (e) All incomes received from the permanent endowment fund. |
| | (2) | The funds credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University. |
| Maintenance of fund | 48. | The funds established under sections 45, 46 and 47, shall subject to general supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed. |
| Annual Report | 49. | (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors for its approval. |
| | | (2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification. |
| | | (3) A copy of the annual report duly approved by the Board of Governors shall be forwarded to Visitor and the State Government before 31 December subsequent to the closing of the financial Year in 31 March every year. |
| Account and Audit | 50. | (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all funds accrued to or received by the University from any source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University. |
| | | (2) The annual accounts of the University shall be audited by an auditor, who is a member of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), every year. |
| | | (3) A copy of the annual accounts and the Balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of Governors before 31 December subsequent to the closing of the |

		financial year in 31 March every year.
	(4)	The annual accounts, the balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the Visitor and the State Government along with its observation thereon before the 31st December every year.
	(5)	The direction of the State Government on the subject arising out of the accounts and audit report of the University shall be binding on the University.
Mode of proofing the University record	51.	A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the university or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded as original thereof is produced.
Dissolution of University	52.	(1) If Sponsor Trust proposes dissolution of the University of Engineering and Technology Roorkee In accordance with the law governing its constitution or incorporation; it shall give at least three months prior notice in writing to the State Government. (2) On identification of mismanagement, maladministration, indiscipline, failure in the accomplishment of the objects of University and economic hardship in the management systems of University, the State Government would issue directions to the management systems of university. If the directions are not followed within such time as may be prescribed by the State Government, the right to take direction for winding up of the University shall vest in the State Government after giving due opportunity of being heard to the management of the university. (3) The manner of winding up of the University would be such as may be prescribed by the State Government in this behalf. (4) On receipt of the notice referred to in subsection (1), the State Government shall acquire the administration of the university as per rules.
Expenditure of the University during Dissolution	53.	(1) The expenditure for administration of the University, during the taking over period of its management under section 52 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund or the development fund, (2) If the funds referred to in-sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over period of its management, such expenditure may be met by

disposing of the properties or assets of the University, by the State Government

Power to remove difficulties

54

(1)

If any difficulty arises in giving effect to the provision of this Act, the State Government may, by a order published in the official Gazatte, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:

Provided that no order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

(2)

Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State legislative Assembly.

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary

Statement of Objectives and reasons

To encourage the development of the state as a education hub and to promote private sector participation in the field of higher education, it is decided that in 07 km Roorkee Haridwar Road, Vardhamnpuram, Haridwar a private university named University of Engineering and Technology Roorkee, sponsored by Seth Roshan Lal Jain Trust is to be established. The aim of the said university is to provide innovation of education, new method of teaching and learning, and for the overall development of personality, to provide education to the socially and economically deprived class and to provide employment resources.

2- Proposed bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister